## फॉर्म-XI

## स्वयं शपथ-पत्र

क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेत् (विहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु मैं - रूपम कुमारी पुत्र/पुत्री - अपना रिग्ह गाँव/शहर प्राणिकिता पोस्ट ऑफिस अधिक भागा भूजीन प्रखंड १५१) हा अनुमंडल ११५० जिला ११५० राज्य १०६१२ ने क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा शपथ लेता / लेती हूँ कि :-

वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

- 2. मेरे माता / पिता में से कोई भी भारत सरकार / विहार सरकार के अधीन ग्रुप-ए / क्लास-1 के पद पर अथवा पी०एस०यू०, बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा भारत सरकार / विहार सरकार के अधीन गुप-ए के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं।
- 3. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से दोनों भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन गुप-बी/क्लास-2 के पद पर अथवा पी०एस०यू०, बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, विश्वविद्यालय की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-बी/क्लास-2 के समकस पद पर गैर सरकारी सेवा में नहीं हैं।

5. मेरे माता / पिता की अन्य स्रोत से बिजनेस / प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय रु. एक भार्य (शब्दों में) है। वीस होना है। 6. में क्रोमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने संबंधी सरकार द्वारा निर्गत संगत आदेश

में परिमाषित क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

में प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आस्क्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता घारण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आघार पर कोई अन्य सुविघा / लाम प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंघ में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरवायी रह्गा/रह्गी।

> भगपम कुमारी आवेवक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम।

> > नाम - भापम कुमारी

स्थान :- *दाणि फिन्ना* दिनांक :- 18 | 09 | 2025